FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– **फरसराम आदि** **बनाम** **शांति आदि**

धारा :– धारा 251''ए'' आर.टी.ए. मुकदमा नं0:– 89 / 2016 22/12/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
22.12.016	यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251''ए'' आर.टी.ए. (विविध) वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्राथीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 10.2.2017 को पेश हो।	
10-2-17	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. [illegible] पत्रावली वास्ते.......... आगामी पेशी दिनांक........ 8-7-17 को पेश हो	
8/7/17	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. [illegible] पत्रावली वास्ते.......... आगामी पेशी दिनांक.......... 7/6/17 को पेश हो।	
7-6-17	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित पत्रावली वास्ते.......... [illegible] आगामी पेशी दिनांक.......... 9/8/17 को पेश हो।	
9/8/17	[illegible] दिनांक.......... [illegible]	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

20/1/17 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] 15/2/17 [illegible] पेश हो। [illegible]

21/1/18 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली को [illegible] [illegible] [illegible] 8/1/18 [illegible] पेश हो। [illegible]

8/1/18 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] अधिकारी
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 389 / 2016

1. फरसाराम पुत्र बिहारीलाल जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. देवीराम पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्णलाल पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. रामेश्वर पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम

1. शांति पत्नि स्व. मघाराम जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. भागीरथ पुत्र स्व. मघाराम जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मदनलाल पुत्र स्व. मघाराम जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. शांति पत्नि ब्रहमानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री रामस्वरूप नांदेवाल अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार — अप्रार्थी सं. 5

8/18

निर्णय दिनांक :–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत इन अभिकथनों के साथ पेश किया कि प्रार्थी सं. 1 एवं उनके भाईयों रामेश्वरलाल, रिछपाल तथा अप्रार्थी सं. 2 व उनके भाई देवीराम एवं प्रार्थी सं. 3 व उनके भाई साबहराम व राधेश्याम के नाम से चक 18 केएसपी के प.न. 133 / 329 मु.न. 43 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 10, 13 की कुल 1.7710 है0 कृषि भूमि व प्रार्थी सं. 4 के इसी चक के इसी प.न. 133 / 329 मु.न. 43 कि.न. 11, 12, 18, 19, 23, 24 कुल 1.518 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थीगण के नाम से इसी चक 18 केएसपी के खाता सं. 136 / 126 व प.न. 131 / 327 मु.न. 33, प.न. 128 / 328 मु.न. 38, प.न. 129 / 328 मु.न. 39 तथा प.न. 133 / 329 मु.न. 43 के कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 कुल 3.9220 है0 नहरी गै.मु. रास्ता व खाला सहित राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है एवं कब्जा काश्त मे है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के परिवार के नाम से दर्ज कागजात कृषि भूमि प.न. 133 / 329 मु.न. 43 के साथ पूर्व दिशा मे चिपती हुई अप्रार्थीगण के नाम से प्रार्थीगण के प.न. मे यानि 133 / 329 मु.न. 43 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 मे प.न. 133 / 329 मु.न. 43 के कि.न. 5, 6 15, 16 व 25 मे गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसमे से होकर पक्षकारान आवागमन करते है। प्रार्थीगण की भूमि मे आवागमन के लिए कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। परन्तु प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण के नाम क संयुक्त खाता की पैरा सं. 4 मे वर्णित भूमि के प.न. 133 / 329 मु.न. 43 के कि.न. 6 मे मंजूरशुदा रास्ते से होकर इस प.न. के कि.न. 6 व 7 की दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम दिशा मे होकर अपनी भूमि मे कि.न. 8 मे प्रवेश करते आ रहे है तथा यही प्रार्थीगण को अपनी भूमि आवागमन करने के लिए सुविधाजनक रास्ता है। अप्रार्थीगण ने माह नवम्बर मे ... की फसल बोने के समय रास्ते के स्थान पर फसल बोहकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया ... प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे जाने से रोक दिया। अतःप्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 18 केएसपी के प.न. 133 / 329 मु.न. 43 कि.न. 6, 7 व 8 की दक्षिणी सींव पर पश्चिम से पूर्व दो दो बिस्वा चोडाई व 3 बीघा लम्बाई रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट मे निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के अपनी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता का अनुतोष चाहा गया है। रिकार्ड व मौका के अनुसार काश्त ... के

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

अनुसार प्रार्थीगण की प.न. 133/329 मु.न. 43 के कि.न. 4–5 मे उत्तर की तरफ 1–1 बिस्वा रास्ता दिया जाना (स्वीकृत किया जाना) उचित होगा। कि.न. 4 व 5 के काश्तकार को रास्ते के बदले मे 2 बिस्वा कृषि भूमि कि.न. 24 मे पूर्व दिशा की तरफ कि.न. 25 के चिपते दिया जाना उचित होगा एव रामेश्वर कि.न. 11–12 मे 1/2 बिस्वा भूमि कि.न. 1 के काश्तकारान फरसराम वगैरा को देना उचित होगा। चूंकि 5 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करना उचित होगा जिसमे से कि.न. 1 के काश्तकारान फरसराम वगैरा तथा कि.न. 11 के काश्तकारान रामेश्वरलाल का 1/2 हिस्सा भूमि यानि 5 बिस्वा भूमि मे से दोनो खातो के काश्तकारान की आधी आधी भूमि 2.5–2.5 बिस्वा काम मे ली जावेगी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र मे तहसीलदार से मौका स्थिति के संबंध मे रिपोर्ट चाही थी जिसमे तहसीलदार ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई जिसमे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता से भिन्न रिपोर्ट अप्रार्थीगण से पूछताछ कर दी गई है। जिसमे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के प.न. 133/329 मु.न. 43 के कि.न. 4–5 मे उत्तर की तरफ 1–1 बिस्वा एव कि.न. 3, 8, 13 की पूर्व दिशा की तरफ एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित माना है। पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता स्वीकृत कर दिया जाव तो भी प्रार्थीगण को रास्ता प्राप्त हो सकता है। पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण की स्वयं की कृषि भूमि प.न. 133/329 मु.न. 43 के कि.न. 3, 8, 13 मे रास्ता स्वीकृति हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि प्रार्थी कृष्णलाल एव शेष प्रार्थीगण उक्त तीनो किलो मे जिस प्रकार से हल्का पटवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस हिसाब से रास्ता स्वीकृत करवाना नही चाहते है। प्रार्थी कृष्णलाल एव शेष प्रार्थीगण अपनी सहमति से कि.न. 3 के पूर्व दिशा मे व कि.न. 8 के उत्तरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम व कि.न. 9 के पश्चिम दिशा मे उत्तर से दक्षिण की ओर एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक प.न. 133/329 मु.न. 43 के कि.न. 4–5 की उत्तर की तरफ एक एक बिस्वा व कि.न. 3 के पूर्व दिशा मे एक बिस्वा व कि.न. 8 के उत्तरी दिशा मे व कि.न. 9 के पूर्व दिशा मे एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जाव।

तलबी मे अप्रार्थीगण उपस्थित न आने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक साक्ष्य शपथ पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एव तहसीलदार हनुमानगढ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एव मुताबिक पटवारी हल्का रिकार्ड व मौका के अनुसार काश्त सुविधा के अनुसार प्रार्थीगण की प.न. 133/329 मु.न. 43 के कि.न. 4–5 मे उत्तर की तरफ 1–1 बिस्वा रास्ता दिया जाना (स्वीकृत किया जाना) उचित होगा। कि.न. 4 व 5 के काश्तकार को रास्ते के बदले मे 2 बिस्वा कृषि भूमि कि.न. 24 मे पूर्व दिशा की तरफ कि.न. 25 के चिपते दिया जाना उचित होगा एव रामेश्वर कि.न. 11–12 मे 1/2 बिस्वा भूमि कि.न. 1 के काश्तकारान फरसराम वगैरा को देना उचित होगा। चूंकि 5 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करना उचित होगा जिसमे से कि.न. 1 के काश्तकारान फरसराम वगैरा तथा कि.न. 11 के काश्तकारान रामेश्वरलाल का 1/2 हिस्सा भूमि यानि 5 बिस्वा भूमि मे से दोनो खातो के काश्तकारान की आधी आधी भूमि 2.5–2.5 बिस्वा काम मे ली जावेगी। जबकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि तहसीलदार ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई जिसमे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता से भिन्न रिपोर्ट अप्रार्थीगण से पूछताछ कर दी गई है। जिसमे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के प.न. 133/329 मु.न. 43 के कि.न. 4–5 मे उत्तर की तरफ 1–1 बिस्वा एव कि.न. 3, 8, 13 की पूर्व दिशा की तरफ एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित माना है। पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता स्वीकृत कर दिया जाव तो भी प्रार्थीगण को रास्ता प्राप्त हो सकता है। पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण की स्वयं की कृषि भूमि प.न. 133/329 मु.न. 43 के कि.न. 3, 8, 13 मे रास्ता स्वीकृति हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि प्रार्थी कृष्णलाल एव शेष प्रार्थीगण उक्त तीनो किलो मे जिस प्रकार से हल्का पटवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस हिसाब से रास्ता स्वीकृत करवाना नही चाहते है। प्रार्थी कृष्णलाल एवं शेष प्रार्थीगण अपनी सहमति से कि.न. 3 के पूर्व दिशा मे व कि.न. 8 के उत्तरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम व कि.न. 9 के पश्चिम दिशा मे उत्तर से दक्षिण की ओर एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक प.न. 133/329 मु.न.

सहायक कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

4

3 कि.न. 4, 5 की उत्तर की तरफ एक एक बिस्वा व कि.न. 3 के पूर्व दिशा मे एक बिस्वा व कि.न. 8 के उत्तरी दिशा मे व कि.न. 9 के पूर्व दिशा मे एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें। चूंकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ते की आवश्यकता है तथा मौके पर उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प नही है। प्रार्थीगण हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमत है, जिसके संबंध मे अधिवक्ता प्रार्थीगण साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की सुविधा को देखते हुए तथा प्रकरण मे वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः प्राथी का पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए स्वीकार किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक प.न. 133/329 मु.न. 43 कि.न. 4, 5 की उत्तर की तरफ एक एक बिस्वा व कि.न. 3 के पूर्व दिशा मे एक बिस्वा व कि.न. 8 के उत्तरी दिशा मे व कि.न. 9 के पूर्व दिशा मे एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेश दिया जाता है कि कि.न. 4 व 5 के काश्तकार को रास्ते के बदले मे 2 बिस्वा कृषि भूमि कि.न. 24 मे पूर्व दिशा की तरफ कि.न. 25 के चिपते भूमि दिये जाने पर तथा रामेश्वर कि.न. 11, 12 मे 1/2 बिस्वा भूमि कि.न. 1 के काश्तकारान परसराम वगैरा को दिये जाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....8/1/18.... को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner